कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2B स0अ0/3773/04–597–2019/2019 दिनांक : 21 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित प्रभावती देवी मेमोरियल कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग,
अनुरूद्धपुर पूरब पट्टी, तप्पा कोन,
कंतित, मीरजापुर।

विषयः नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (**Clearance**) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 29.12.2018 एवं 14.12.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानो को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक **16.12.2019** की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार **प्रस्तावित प्रभावती देवी मेमोरियल कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, अनुरूद्धपुर पूरब पट्टी, तप्पा कोन कंतित, मीरजापुर** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत **बी0एड0 पाठ्यक्रम** की सम्बद्धता प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

1. संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त मानकों एवं निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
3. उक्त विषय/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश सं0 3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश में विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
5. संस्था भविष्य में भूमि भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न हीं उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की होगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी लायबिलिटी (उत्तरदायित्व) से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

7. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संस्था द्वारा सम्बद्धता से पूर्व सुनिश्चित की जायेगी।
8. उक्त अनापत्ति जिलाधिकारी मीरजापुर की भूमि सत्यापन आख्या के आलोक में ग्राम–**अनुरूद्धपुर पूरब पट्टी तप्पा–कोन**, परगना–**कंतित**, तहसील–**सदर**, जिला–**मिर्जापुर** में गाटा सं0 **389 रकबा 1.692हे0 में से रकबा 0.304हे0 अर्थात (3040 वर्गमीटर)** भूमि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है।
9. भविष्य में महाविद्यालय की भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. संस्थान / महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय से समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. अन्य भूखण्ड या स्थान पर संस्था संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
12. ***शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आलोक में महाविद्यालय को सन्दर्भित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य प्राचार्य / शिक्षकों का अनुमोदन एवं नियुक्ति न किये जाने की दशा में सम्बद्धता की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा।***

कृपया उरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बंधित पत्रावली।

कुलसचिव